संख्या : 769 / 2017–31(5)/2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

कृषि एवं विपणन (जलागम)अनुभाग देहरादून : दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषयः जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा संचालित विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 की समाप्ति के उपरान्त परियोजनाकाल में सृजित परिसम्पत्तियों आदि के प्रबन्धन एवं रखरखाव के सम्बन्ध में दिशा निर्देश विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक क्रम में परियोजना निदेशक (ग्राम्या–2), जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पत्रसंख्या 551/11–7(परिसम्पत्ति हस्तान्तरण)/2017–18 दिनांक 18.08.2017 एवं पत्रसंख्या 1033/11–7(परिसम्पत्ति हस्तान्तरण)/2017–18 दिनांक 27.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 की समाप्ति के उपरान्त विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना संचालन निर्देशिका की व्यवस्थाओं के क्रम में परियोजनाकाल में सृजित परिसम्पत्तियों आदि के रख–रखाव एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. आप अवगत ही हैं कि लगभग रू0 1020.00 करोड़ लागत की विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 वर्ष 2014 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2021 में पूर्ण होनी है और परियोजनाकाल में जल एवं जलागम समिति व ग्राम स्तरीय संस्थाओं, उपभोक्ता समूहो/कृषक संघों, फील्ड एन.जी.ओ. तथा पार्टनर एन.जी.ओ. इत्यादि द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों एवं उपकरणों आदि का परियोजना समाप्ति के उपरान्त प्रबन्धन एवं रख–रखाव किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

3. परियोजना निदेशक (ग्राम्या–2) के उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा उक्त परियोजना की समाप्ति के उपरान्त परियोजना अवधि में सृजित परिसम्पत्तियों आदि के प्रबन्धन एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में विभागीय प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

3.1 ग्राम्या परियोजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का विवरण समस्त उप परियोजना निदेशकों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर परिसम्पत्ति का रजिस्टर रूप–पत्र (नियम 65) में एक पृथक् पंजिका में रखा जायेगा।

3.2 **व्यक्तिगत परिसम्पत्तियां**– इस प्रकार की समस्त परिसम्पत्तियां जैसे पशु आश्रय, नांद वर्मी कम्पोस्ट, चैफ कटर, फल उद्यान, भूमि व जल संरक्षण सेवायें आदि के रखरखाव का कार्य व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित लाभार्थी का ही होगा तथापि उन्हें किसी संसाधन की जरूरत होने

पंजीकृत सं. 1896
फाईल सं. 11-7
दिनांक 21/11/17
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पर इसे ग्राम स्तरीय संस्थाओं से प्राप्त किया जा सकता है। आय अर्जन सम्बन्धी समस्त परिसम्पत्तियों का रखरखाव इनके लाभार्थी स्वयं ही करेंगे जबकि परियोजना द्वारा परियोजना क्रियान्वयन अवधि में बैकवर्ड व फारवर्ड लिंकेज में सहायता प्रदान की जायेगी।

3.3 **सामुदायिक परिसम्पत्तियां**– सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिये समुदाय के गहन सहभागिता की आवश्यकता होगी,जिसके सन्दर्भ में निम्न व्यवस्था प्रस्तावित की जाती है:–

3.3.1 **सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण**– सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण, क्षेत्रानुरूप वन पंचायत में होने की स्थिति पर वन पंचायत को अन्यथा ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किये जायेंगे। यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक वर्षों में वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़ की जाय। सभी वृक्षारोपण के रखरखाव एवं देखभाल का दायित्व सम्बन्धित वन पंचायत/ग्राम पंचायत का होगा, जिसके लिये समुदाय निम्न विकल्पों पर विचार कर सकता है।

- गॉव के समस्त लाभार्थी परिवारों को एक–एक कर देखभाल का दायित्व देना।
- वन उपज अर्थात् वृक्षारोपण क्षेत्र से प्राप्त होने वाली चारा घास व लकड़ी आदि की एक निश्चित मात्रा वर्तमान चौकीदार को उपलब्ध कराते हुये उसकी सेवायें जारी रखना या लाभार्थियों से धनराशि एकत्रित कर चौकीदार को भुगतान करना।
- अग्निकाल के दौरान इस पर नियंत्रण हेतु नियन्त्रक समूहों का गठन।
- वृहद असफलता की दशा में ग्राम पंचायत/वन पंचायत द्वारा मनरेगा जैसी योजनाओं से वृक्षारोपण व घेरबाड़ हेतु धनराशि प्राप्त करना।

3.4 **चारा रोपण क्षेत्र**– अधिकतर चारा रोपण क्षेत्र ऐसी भूमि पर स्थित हैं जो पूर्व में भी चारागाह के रूप में प्रयुक्त हो रहे थे। अतः इस प्रकार के क्षेत्रों की देखभाल व रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायत, वन पंचायत या सम्बन्धित लाभार्थी समूह करेंगे।

3.5 **सामुदायिक उद्यान**– यह गतिविधि मुख्य रूप से ग्राम पंचायत या राजस्व ग्राम की सिविल भूमि जिसका उपयोग राजस्व ग्राम के विशिष्ट समूहों द्वारा किया जाता है, पर करायी जाती है। उपभोक्ता समूह इन उद्यानों का रखरखाव करेंगे, जिसके लिये चौकीदार की व्यवस्था की जायेगी तथा भुगतान हेतु धनराशि उपभोक्ता समूह के सदस्यों से प्रतिमाह ली जायेगी या क्षेत्र से घास व उत्पाद बेचकर एकत्रित की जायेगी।

3.6 **जल एवं भूमि संरक्षण संरचनायें**– ग्राम के समीपवर्ती भूमि एवं जल संरक्षण के लिये निर्मित छोटी–छोटी अभियान्त्रिक संरचनाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत का होगा। इस प्रकार की संरचनाओं के रखरखाव हेतु मनरेगा, राज्य आपदा निधि या अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

3.7 **ग्रामीण सड़के, छोटी पुलिया एवं कलवट**– मुख्य सड़क से बेहतर सम्पर्क स्थापित करने के लिये इन संरचनाओं का निर्माण/जीर्णोद्धार सम्बन्धित ग्राम पंचायत या राजस्व ग्राम द्वारा कराया जायेगा। इसकी देखभाल एवं लघु मरम्मत का कार्य ग्राम के लाभार्थी समूह करेंगे। प्राकृतिक आपदा के कारण वृहद् क्षति होने की दशा में ग्राम पंचायत सम्बन्धित योजना (यथा मनरेगा, राज्य आपदा निधि इत्यादि) से धनराशि प्राप्त कर इसकी मरम्मत करायेगी।

3.8 **जल संग्रहण टेंक, सिंचाई गूल, ग्रामीण तालाब आदि**– इन संरचनाओं के निर्माण से पूर्व इनसे लाभ लेने वाले परिवारों का एक लाभार्थी समूह बनाया जायेगा। लाभार्थी समूह द्वारा इनके रख–रखाव के लिये एक कियान्वयन एवं रख–रखाव कोष बनाया जायेगा। सिंचाई नहर, सिंचाई टैंक या ग्रामीण तालाब हेतु इस कोष के लिये धनराशि लाभार्थी समूह के सदस्यों से प्रति सदस्य प्रति मौसम सिंचित फसल या प्रति नाली के आधार पर एकत्रित की जा सकती है। प्राकृतिक आपदा के कारण वृहद् क्षति होने की दशा में लाभार्थी समूह सम्बन्धित ग्राम पंचायत से मनरेगा, राज्य आपदा निधि या अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों से धनराशि प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

3.9 **मल्टी यूटीलिटी सैन्टर**– मल्टी यूटीलिटी सैन्टर का प्रयोग व रख–रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा तथा इन परिसम्पत्तियों के भवनों का स्वामित्व भी ग्राम पंचायतों के पास रहेगा। यदि उस भूमि, जिस पर मल्टी यूटीलिटी सैन्टर का निर्माण हुआ है, का स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास नहीं है, तब उस भूमि को ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। उप परियोजना निदेशक द्वारा इस परिसम्पत्ति को ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करते समय उससे सहमति पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया जायेगा।

3.10 **प्रसंस्करण ईकाई**– ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित प्रसंस्करण ईकाईयों का प्रयोग व रख–रखाव सम्बन्धित पंजीकृत कृषक संघ द्वारा किया जायेगा तथा इसकी सम्पूर्ण सामग्री तथा उपकरणों का स्वामित्व भी उसी के पास रहेगा। यदि ये ईकाईयां सामूहिक भूमि या भवन पर स्थापित हैं, तब इन परिसम्पत्तियों के भवनों पर ग्राम पंचायत का अधिकार रहेगा। इन परिसम्पत्तियों को हस्तान्तरित करते समय उप परियोजना निदेशक द्वारा ग्राम पंचायत एवं कृषक समूह से सहमति पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसकी सूचना जनपद के जिला उद्यान अधिकारी को भी दी जायेगी।

3.11 **परियोजना उपकरण**– सभी उपकरण जैसे एस.ओ.पी., वैदर स्टेशन आदि जिन्हें किसी स्कूल, विकासखण्ड कार्यालय,तहसील कार्यालय या कृषि विज्ञान केन्द्र आदि में लगाया जायेगा, का रख–रखाव सम्बन्धित संस्था अथवा विभाग द्वारा किया जायेगा। उप परियोजना निदेशक, इन्हें हस्तान्तरित करते समय सम्बन्धित संस्था या विभाग से इसके रख–रखाव व देखभाल हेतु सहमति पत्र प्राप्त करेंगे तथा इसकी एक प्रति जनपद की सम्बन्धित संस्था या विभाग को दी जायेगी।

3.12 **स्वयंसेवी संस्थाओं की परिसम्पत्तियां**– परियोजना समाप्ति के पश्चात् सभी फील्ड एन.जी.ओ., पार्टनर एन.जी.ओ. एवं एग्री बिजनैस सपोर्ट आर्गेनाईजेशन अपनी परिसम्पत्तियों एवं उपकरणों को सम्बन्धित उप परियोजना निदेशक को सौंपेंगे, जिसका एक अभिलेख रखा जायेगा। तत्पश्चात् इस समस्त सामग्री/अभिलेखों को सम्बन्धित उप परियोजना निदेशक को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में उक्त योजना के परियोजनाकाल में सृजित परिसम्पत्तियों आदि का प्रबन्धन एवं रख–रखाव निर्धारित प्रारूपों पर व्यवस्थित करते हुये समयबद्धता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या : / 2017–31(5)/2011 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. परियोजना निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज–2 हल्द्वानी (नैनीताल)/मुनीकीरेती (टिहरी)।
10. समस्त उप परियोजना निदेशक, यू.डी.डब्ल्यू.डी.पी. फेज–2, जलागम प्रबन्ध, उत्तराखण्ड।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव